स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.76/अनुदेश/2015/ई ई पी एस/खंड.।। तारीख : 8 सितम्बर, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के 30 दिवसों के भीतर राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों के संबंध में भागिक निर्वाचन व्यय विवरण दाखिल करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के 30 दिवसों के भीतर राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों के संबंध में भागिक निर्वाचन व्यय विवरण दाखिल करने के संबंध में आयोग के तारीख 8 सितम्बर, 2015 के पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ई ई पी एस/खंड. ।। की प्रति इस अनुरोध के साथ इसके साथ अग्रेषित करने का [illegible]हुआ है कि आप इसे अपने राज्य में सभी राजनैतिक दलों के ध्यान में लाएं। दल को भेजी गई संसूचना की प्रति आयोग के संदर्भ एवं रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए।

2. आपसे यह भी अनुरोध है कि अभ्यर्थियों के संबंध में हुए और परिणामों की घोषणा के 30 दिवसों के भीतर दाखिल गैर मान्यता प्राप्त दलों का निर्वाचन व्यय ब्योरा इसकी प्राप्ति के 3 दिवसों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाला जाए। यह उल्लेखनीय है कि आयोग के तारीख 21 जनवरी, 2015 के पत्र सं. 76/ई ई/2012-पी पी ई एम एस और तारीख 29 अगस्त, 2014 के पत्र सं. 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 में यथा उल्लिखित, राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय दाखिल करने संबंधी अनुदेश पहले की तरह जारी रहेंगे।

3. कृपया पावती भेजें।

भवदीय

(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

प्रति राजनैतिक दल, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुभाग और एस डी आर अनुभाग को प्रेषित

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.76/अनुदेश/2015/ई ई पी एस/खंड.II   तारीख : 8 सितम्बर, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव

1. सभी राष्ट्रीय दल
2. सभी राज्य दल
3. सभी गैर-मान्यताप्राप्त दल

विषय : निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के 30 दिवसों के भीतर राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों के संबंध में भागिक निर्वाचन व्यय विवरण दाखिल करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के तारीख 21 जनवरी, 2013 के पत्र सं.76/ई ई/2012-पी पी ई एम एस आर और तारीख 29 अगस्त, 2014 के पत्र सं. 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 (प्रतियां संलग्न) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राजनैतिक दलों को सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन के पूरा होने के 75 दिवसों/90 दिवसों के भीतर अपने "निर्वाचन व्यय का विवरण" भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष (राष्ट्रीय एवं राज्य दलों की दशा में) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (गैर-मान्यता प्राप्त दलों की दशा में, जहां दल मुख्यालय स्थित है) दाखिल करना होगा।

2. कुल व्यय, जिसका लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन रखा जाता है और जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में उपगत होता है या प्राधिकृत होता है, को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के अधीन विहित किया गया है। साधारणतया राजनैतिक दल निर्वाचन के दौरान अपने द्वारा खड़ा किए गए अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय के लिए नकद या सामग्रीगत अंशदान/दान देता है तथा अभ्यर्थियों को अपने में ऐसे व्यय को दिखाना होता है। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लेखों की पारदर्शिता एवं समाशोधन के लिए और संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन आयोग में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि राजनैतिक दलों को (1) उपर्युक्त की भांति विधान सभा/लोक सभा साधारण निर्वाचन के पूरा होने के 75/90 दिवसों के भीतर) दलों द्वारा दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित निर्वाचन व्यय के अंतिम विवरण के साथ-साथ अभ्यर्थी को पार्टी द्वारा किए गए एक मुश्त भुगतान के संबंध में अलग विवरण अनुबंध-क में विहित फॉर्मेट में विधान सभा/लोक सभा के परिणामों की घोषणा के बाद 30 के भीतर, 2. भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष (राष्ट्रीय एवं राज्य दलों की दशा में) या राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (गैर मान्यता प्राप्त दलों की दशा में, जहां दल का मुख्यालय स्थित है), वहां दाखिल किया जाना अपेक्षित है।

3. यह दोहराया जाता है राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों के लिए किए गए निर्वाचन व्यय को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जैसा कि आयोग के तारीख 29 अगस्त, 2014 के पत्र सं. 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 (उल्लिखित एवं संलग्न) के पैरा 3(i) में उल्लेख किया गया है।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

(एस. के. रूडोला)
सचिव

प्रति, राजनैतिक दल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुभाग और एस डी आर अनुभाग को प्रेषित

अनुबंध क

दल का नाम :

क्या मान्यताप्राप्त : .... (हां या नहीं)

निर्वाचन का नाम :

निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख :

निर्वाचन संपन्न होने की तारीख :

दल के अभ्यर्थी(यों) या अन्य अभ्यर्थी (यों) को किया गया/किए गए कुल एकमुश्त भुगतान, यदि दल द्वारा कोई प्राधिकृत/उपगत व्यय नकद में या लिखतों यथा, चेक/डीडी/पीओ/आर टी जी एस/निधि अंतरण (फंड ट्रांसफर) आदि द्वारा किया गया हो। यदि राजनैतिक दल एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी(यों) को भुगतान करता है तो तारीख-वार ब्योरे का उल्लेख किया जाए।						
क्र. सं.	राज्य का नाम/विधान सभा और/या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर एवं नाम	अभ्यर्थी का नाम	भुगतान की तारीख(खें)	नकद राशि	चेक/डीडी/पीओ/आर टी जी एस/निधि अंतरण आदि	कुल (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
					कुल योग	

तारीख :

हस्ताक्षर (राजनैतिक दल का खजांची)

टिप्पणी : दल के केंद्रीय मुख्यालय या राज्य यूनिटों द्वारा किए गए/प्राधिकृत भुगतानों के लिए एक पृथक अनुबंध संलग्न किए जाएं।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

*सं.*76/*ई ई*/2012- *पी पी ई एम एस* *तारीख* : 21 *जनवरी*, 2013

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव

(सभी राजनैतिक दल)

विषय : राजनैतिक दलों द्वारा विधान सभा निर्वाचनों के 75 *दिवसों/लोक सभा निर्वाचन के* 75/90 *के भीतर दाखिल किए जाने वाले ' निर्वाचन व्यय विवरण ' दाखिल करने हेतु प्रपत्र का आशोधन।*

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य (एम आर 1996 *एस सी* 3081) *के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार आयोग ने अपने तारीख* 27.12.2001, 22.03.2004 *और* 13.01.2009 *के पत्र के तहत एक प्रपत्र निर्धारित किया है राजनैतिक दलों से लोक सभा/विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन से संबंधित अपने निर्वाचन व्यय का विवरण आयोग की संवीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। राजनैतिक दलों द्वारा दाखिल विवरण को आयोग की वेबसाइट पर डाला जाता है।*

2. *मुझे आगे यह और सूचित करना है कि सुसंगत सूचना पर और अधिक सुव्यवस्थित एवं संगठित रीति से कार्रवाई करने के लिए आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इसलिए, आयोग ने उक्त प्रपत्र को संशोधित कर है, जो इसके साथ संलग्न है और इसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उक्त संशोधित प्रपत्र में दल के केंद्रीय मुख्यालय में व्यय के संबंध में सूचना भाग 'क' में, दल की राज्य इकाई (इयों) में या राज्य दल द्वारा (जिला/स्थानीय इकाईयों सहित) सूचना भाग 'ख' में, भाग 'ग' में सूचना के सारांश एवं भाग 'घ' में सत्यापन का उपबंध किया गया है। व्यय का ब्योरा प्रपत्र के अनुसार अनुसूचियों में दिया जाना होता है। संशोधित प्रपत्र में बेहतर स्पष्टता एवं जवाबदेही के लिए व्यय को दो भागों अर्थात साधारण दल प्रचार के लिए राजनैतिक दलों के व्यय और अभ्यर्थी के लिए होने वाले व्यय, में विभाजित किया गया है।*

3. *दलों द्वारा या उनके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,* 1951 *की धारा* 78 *के अधीन दाखिल, निर्वाचन व्यय की उनकी विवरणी में उक्त अधिनियम की धारा* 77(1) *के स्पष्टीकरण* (1) *के अनुसार उनके द्वारा दावा की गई छूटों की संवीक्षा किए जा सकने के लिए अपेक्षित सूचना मांगी जाती है।*

4. *मुझे यह भी सूचित करना है कि सभी राजनैतिक दल* 01 *जनवरी,* 2013 *के बाद आयोजित सभी निर्वाचनों के लिए संशोधित प्रपत्र में "निर्वाचन व्यय विवरण" हार्ड कॉपी और सी डी में सॉफ्ट कॉपी में दाखिल करेंगे।*

5. *इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और इस पत्र की पावती भेजी जाए।*

भवदीय

ह/-

(एस. के. रूडोला)

सचिव

संलग्नक : यथोपरि

प्रति प्रेषित **:** *सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को राज्य में सभी राजनैतिक दलों/जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लाने के लिए।*

लोक सभा/विधान सभा के निर्वाचनों में राजनैतिक दल का निर्वाचन व्यय संबंधी विवरण

(निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से निर्वाचन संपन्न होने की तारीख तक)

1. राजनैतिक दल का नाम : ....

2. लोक सभा/राज्य की विधान सभा का निर्वाचन ....
   (विधान सभा की दशा में राज्य का नाम लिखें और जो सुसंगत न हो, उसे काट दें)

3. निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख : ....

4. निर्वाचन संपन्न होने की तारीख ....

5. दल केंद्रीय मुख्यालय में उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का ब्योरा

भाग क

5.1	क. दल के केंद्रीय मुख्यालय में दल निधियों का आरंभिक अतिशेष (निर्वाचन की घोषणा की तारीख को)	राशि
	विवरण	राशि
	(i) हाथ नकदी	
	(ii) बैंक में अतिशेष (कृपया बैंक और शाखा का नाम लिखें)	
	कुल	
5.2	क. निर्वाचन की उद्घोषणा से निर्वाचन संपन्न होने की तारीख तक सभी स्रोतों से दल के केंद्रीय मुख्यालय की सकल प्राप्तियां	राशि
	विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) चेक या ड्राफ्ट आदि	
	(iii) सामग्रीगत (किसी व्यक्ति/संस्थान से प्राप्त सम्पूरक वस्तु या सेवाएं) (कृपया किसी व्यक्ति/संस्थान से संपूरक के रूप में प्राप्त ऐसी मदों - वस्तुओं या सेवाओं यथा हेलिकॉप्टर सेवाओं आदि का ब्योरा एवं सांकेतिक मूल्य लिखें)	
	कुल	
5.3	क. निर्वाचन की उद्घोषणा से निर्वाचन संपन्न होने तक साधारण दल के प्रचार के लिए दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय (यदि एक से अधिक राज्य शामिल हैं, तो दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा उपगत राज्य-वार कुल व्यय अनुसूची 1 में दिया जाए)	
	दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा सकल व्यय का विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) चेक/ड्राफ्ट आदि	
	(iii) प्राधिकृत व्यय किंतु निर्वाचन के सम्पन्न होने की तारीख को शेष बकाया	
	कुल	
	ख. दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा उपगत/प्राधिकृत उपर्युक्त साधारण दल प्रचार पर व्यय का ब्योरा	
	(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण में यथा उल्लिखित स्टार प्रचारक का यात्रा व्यय (अनुसूची - 2में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(ii) स्टार प्रचारक से भिन्न नेताओं का यात्रा व्यय	

	(अनुसूची - 2क में दिए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(iii) साधारण दल प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एस एम एस, केबल, वेबसाइट, दूरदर्शन चैनलआदि) पर व्यय (अनुसूची – 3 में दिए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(iv) साधारण दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैजेज, स्टीकर्स, आर्क, गेट्स, कट-आउट, होर्डिंग, झंडे आदि सहित प्रचार सामग्री पर व्यय (अनुसूची - 4 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(v) साधारण दल प्रचार पर जनसभाओं/जुलूसों/रैली आदि पर व्यय (अनुसूची - 5 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(vi) साधारण दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय (अनुसूची - 6 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	साधारण दल प्रचार पर कुल व्यय	
5.4	अभ्यर्थी(यों) के लिए दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय	
	(i) दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत दल के अभ्यर्थी(यों) या अन्य अभ्यर्थी(यों) को नकद में या लिखतों यथा - चेक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि अंतरण आदि द्वारा कुल एक मुश्त भुगतान (अनुसूची - 7 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	(ii) विशिष्ट अभ्यर्थी(यों) के लिए फोटो या नाम के साथ अभ्यर्थी(यों) के निर्वाचन व्यय के रूप में मीडिया में (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एस एम एस, केबल, वेबसाइट, दूरदर्शन चैनल आदि) पर कुल व्यय) (अनुसूची - 8 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	(iii) अभ्यर्थी(यों) के फोटो और/या नाम के साथ प्रचार सामग्री(यथा पोस्टर, बैनर, निर्वाचन सामग्री आदि) पर कुल व्यय (अनुसूची - 9 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	(iv) अभ्यर्थी(यों) के साथ स्टार प्रचारकों या अन्य नेताओं की रैली में जनसभाओं/जुलूसों आदि (बैरीकेड्स/श्रव्य आदि/श्रोतागण/समर्थकों के लिए किराये पर लिए गए वाहनों) पर कुल व्यय (अनुसूची - 10 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	(v) अभ्यर्थी(यों) के कोई अन्य व्यय (अनुसूची - 11 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	अभ्यर्थी(यों) पर कुल व्यय	
5.5	दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा दल की राज्य इकाइयों (जिला एवं स्थानीय इकाइयों सहित) को या अन्य दल को निर्वाचन व्यय के लिए दी गई कुल एकमुश्त राशि(कृपया राज्य-वार राशि लिखें), यदि राजनैतिक दल एक से अधिक अवसरों पर भुगतान करता है, तो तारीख-वार ब्योरे दिए जाएं	

दल की राज्य इकाई, जिसे भुगतान किया गया है, का नाम/अन्य राजनैतिक दल (यदि कोई है) का नाम	भुगतान की तारीख(खें)	नकद, चेक/डी डी आदि नम्बर	राशि
1			
2			
3. आदि			
		कुल	

5.6	निर्वाचन संपन्न होने पर दल के केंद्रीय मुख्यालय में दल निधियों का आरंभिक अतिशेष	राशि
	विवरण	राशि
	(i) हाथ नकदी	
	(ii) बैंक में अतिशेष (कृपया बैक और शाखा का नाम लिखें)	
	कुल	

भाग - ख

6. .... राज्य के लिए सभी जिला स्तरीय एवं स्थानीय यूनिटों सहित दल की राज्य ईकाई या राज्य पार्टी मुख्यालय द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का ब्योरा

I. यदि राजनैतिक दल एक से अधिक राज्य में निर्वाचन व्यय उपगत/प्राधिकृत करता है तो इस प्रपत्र के अनुसार पृथक शीट में प्रत्येक राज्य के लिए ब्योरे दिए जाएं।

II. राज्य के भीतर मुख्यालय वाला राज्य राजनैतिक दल इस प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6.1	क. राज्य ईकाई (जिला स्तरीय यूनिटों एवं स्थानीय यूनिटों सहित) आरंभिक अतिशेष (निर्वाचन की घोषणा की तारीख में)	राशि
	विवरण	राशि
	(i) हाथ नकदी	
	(ii) बैंक में अतिशेष (कृपया बैंक और शाखा का नाम लिखें)	
	कुल	
6.2	क. निर्वाचन की उद्घोषणा से निर्वाचन संपन्न होने की तारीख तक राज्य में जिला स्तरीय यूनिटों और स्थानीय यूनिटों सहित राज्य यूनिटों द्वारा सभी स्रोतों से सकल प्राप्तियां	राशि
	विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) चेक या ड्राफ्ट आदि	
	(iii) सामग्रीगत (किसी व्यक्ति/संस्थान से प्राप्त सम्पूरक वस्तु या सेवाएं) (कृपया किसी व्यक्ति/संस्थान से संपूरक के रूप में प्राप्त ऐसी मदों - वस्तुओं या सेवाओं यथा, हेलिकॉप्टर सेवाओं आदि का ब्योरा एवं सांकेतिक मूल्य लिखें)	
	कुल	
6.3	क. साधारण दल के प्रचार के लिए (निर्वाचन की उद्घोषणा से निर्वाचन संपन्न होने तक) राज्य इकाई (जिला स्तरीय इकाइयों और स्थानीय इकाइयों सहित) द्वारा उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय	
	राज्य यूनिट द्वारा सकल व्यय का विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) चेक या ड्राफ्ट आदि	
	(iii) व्यय प्राधिकृत, किंतु निर्वाचन के सम्पन्न होने की तारीख को शेष बकाया	
	कुल	
	ख. राज्य इकाई (जिला स्तरीय इकाइयों और स्थानीय इकाइयों सहित) द्वारा उपगत/प्राधिकृत उपर्युक्त साधारण दल प्रचार पर व्यय का ब्योरा	
	(i) राज्य इकाइयों द्वारा उपगत स्टार प्रचारकों पर यात्रा व्यय (अनुसूची - 12 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(ii) राज्य इकाइयों द्वारा अन्य नेताओं पर यात्रा व्यय (अनुसूची - 13 में [illegible]गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(iii) राज्य इकाइयों द्वारा साधारण दल प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एस एम एस, केबल, वेबसाइट, दूरदर्शन चैनल आदि) पर व्यय	

	(अनुसूची – 14 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(iv) राज्य इकाइयों द्वारा साधारण दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैजेज, स्टीकर्स, आर्क, गेट्स, कट-आउट, होर्डिंग, झंडे आदि सहित प्रचार सामग्री पर व्यय (अनुसूची – 15 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(v) राज्य इकाइयों द्वारा साधारण दल प्रचार पर जनसभाओं/जुलूसों/रैली आदि पर व्यय (अनुसूची – 16 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
	(vi) राज्य इकाइयों द्वारा साधारण दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय (अनुसूची – 17 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे दिए जाएं)	
6.4	अभ्यर्थी(यों) के लिए जिला स्तरीय इकाइयों और स्थानीय इकाइयों सहित राज्य इकाई द्वारा उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय (साधारण दल प्रचार पर व्यय से भिन्न)	
	(i) राज्य इकाई द्वारा प्राधिकृत/उपगत दल के अभ्यर्थी(यों) या अन्य अभ्यर्थी(यों) को नकद में या लिखतों यथा - चेक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि अंतरण आदि द्वारा कुल एक मुश्त भुगतान (अनुसूची - 18 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	(ii) राज्य इकाई द्वारा विशिष्ट अभ्यर्थी(यों) के लिए फोटो या नाम के साथ अभ्यर्थी(यों के निर्वाचन व्यय के रूप में मीडिया [illegible] (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एस एम एस, केबल, वेबसाइट, दूरदर्शन चैनल आदि) पर कुल व्यय) (अनुसूची - 19 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	(iii) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी(यों) के फोटो और/या नाम के साथ प्रचार सामग्री (यथा पोस्टर, बैनर, कट-आउट, निर्वाचन सामग्री आदि) पर कुल व्यय (अनुसूची - 20 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	(iv) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी(यों) के साथ स्टार प्रचारकों या अन्य नेताओं की रैली में जनसभाओं/जुलूसों आदि (बैरीकेड्स/श्रव्य आदि/श्रोतागण/समर्थकों के लिए किराये पर लिए गए वाहनों) पर कुल व्यय (साधारण प्रचार दल से भिन्न) (अनुसूची - 21 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	(v) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी(यों) के लिए कोई अन्य व्यय (अनुसूची - 22 में दिए गए फॉर्मेट में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	
	अभ्यर्थी(यों) पर कुल व्यय	
6.5	दल की राज्य इकाई द्वारा (जिला एवं स्थानीय इकाइयों सहित) अन्य दल (लों) को निर्वाचन व्यय के लिए दी गई कुल एकमुश्त राशि। यदि राजनैतिक दल एक से अधिक बार भुगतान करता है तो तारीख-वार ब्योरे दिए जाएं	

दल की राज्य इकाई, जिसे भुगतान किया गया है, का नाम/अन्य राजनैतिक दल (यदि कोई है) का नाम	भुगतान की तारीख(खें)	नकद, चेक/डी डी आदि की संख्या	राशि
1			
2			
3. आदि			
कुल			

6.6	निर्वाचन संपन्न होने पर दल की राज्य इकाई (जिला एवं स्थानीय ईकाईयों सहित) का आरंभिक अतिशेष	राशि
	विवरण	राशि

	(i) हाथ नकदी	
	(ii) बैंक में अतिशेष (कृपया बैक और शाखा का नाम लिखें)	
	कुल	

भाग - ग

7. भाग - क और ख में सारणियों में यथा उल्लिखित, निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी प्राप्तियों एवं व्यय का सारांश (निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से निर्वाचन संपन्न होने तक)

क	दल का नाम	
ख	मतदान की तारीख(खें)	
ग	निर्वाचन : (राज्य का नाम और विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखें)	
घ	आरंभिक अतिशेष (दल के केंद्रीय मुख्यालय और राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों के लिए)	
	विवरण	राशि
	I. हाथ नकदी [सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.1 क (i) + 6.1 क (i)]	
	II. बैंक में नकद [सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.1 क (ii) + 6.1 क (ii)]	
ड.	निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से निर्वाचन संपन्न होने की तारीख तक सकल प्राप्तियां (दल के केंद्रीय मुख्यालय और राज्य/जिला/स्थानीय स्तरीय इकाइयों दोनों में)	
	विवरण	राशि
	I. नकद [सभी राज्यों का 5.2 क (i) + 6.2 क (i)]	
	II. चेक या ड्राफ्ट [सभी राज्यों का 5.2 क (ii) + 6.2 क (ii)]	
	III. सामग्रीगत (या सम्पूरक प्राप्तियां [सभी निर्वाचन राज्यों का 5.2 क (iii) + 6.2 क (iii)]	
	IV. कुल प्राप्ति(यां)	
च.	निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से निर्वाचन के सम्पन्न होने की तारीख तक साधारण दल प्रचार के लिए उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय (केंद्रीय मुख्यालय और राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों में)	
	विवरण	राशि
	I. नकद या चैक/डी डी आदि [सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.3 क (i) + 6.3 क (i)]	
	II. चेक या ड्राफ्ट [सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.3 क (ii) + 6.3 क (ii)]	
	III. व्यय प्राधिकृत, किंतु निर्वाचन संपन्न होने की तारीख तक शेष बकाया [सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.3 क (iii) + 6.3 क (iii)]	
	IV. साधारण दल प्रचार पर कुल व्यय	
छ.	साधारण दल प्रचार से भिन्न अभ्यर्थी(यों) के लिए राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय (केंद्रीय मुख्यालय और राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों में)	
	विवरण	राशि
	I. अभ्यर्थियों को भुगतान, नकद या चैक/डी डी आदि 5.4 क (i) + 6.4 क (i)]	
	II. सामग्रीगत	

	क. मीडिया भुगतान [सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.4 क (ii) + 6.4 क (ii)]	
	ख. प्रचार सामग्री [सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.4 क (iii) + 6.4 क (iii)]	
	ग. जन सभाएं, जुलूस आदि [सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.4 क (iv) + 6.4 क (iv)]	
	घ. कोई अन्य व्यय [सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.4 क (v) + 6.4 क (v)]	
	IV. अभ्यर्थी (र्थियों) पर कुल व्यय	
ज.	साधारण दल प्रचार और अभ्यर्थी(र्थियों) के लिए सकल कुल व्यय [इस सारणी के उपर्युक्त च (iv) + छ (iv)]	
झ.	आरंभिक अतिशेष (दल के केंद्रीय मुख्यालय और राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों दोनों में)	
	विवरण	राशि
	क. हाथ नकदी [निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.6 क (i) + 6.6 क (i)]	
	ख. बैंक में अतिशेष [निर्वाचन संबंधी राज्यों का 5.6 क (ii) + 6.6 क (ii)]	
	ग. कुल आरंभिक अतिशेष	

भाग - घ

सत्यापन

मैं, श्री/श्रीमती .... एतद्द्वारा सत्यापित एवं घोषित करता/करती हूं कि निर्वाचन व्यय के विवरण जो कि निर्वाचन व्यय के विवरण (भाग क, ख, ग) में भेजा गया है उसमें लोक सभा / .... राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के संबंध में राजनैतिक दल (दल का केंद्रीय मुख्यालय/राज्य इकाई (जिला स्तरीय एवं स्थानीय इकाइयों सहित)) द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें सम्मिलित हैं और उससे कुछ भी छिपाया या रोका/दबाया नहीं गया है, और

कि निर्वाचन व्यय के उक्त [illegible] मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और कोई सारवान तथ्य छिपाया नहीं गया है।

तारीख खजांची या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रति हस्ताक्षरित

दल के अध्यक्ष/महासचिव के हस्ताक्षर

लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित

लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर एवं मुहर

** जो लागू न हो, उसे काट दें*

दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा व्यय

अनुसूची - 1					
निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से निर्वाचन संपन्न होने की तारीख तक साधारण दल प्रचार के लिए दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत व्यय का राज्य-वार ब्योरा					
क्र. सं.	राज्य का नाम	नकद	चेक आदि	व्यय प्राधिकृत, किंतु मतदान संपन्न होने की तारीख को शेष बकाया	कुल
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची - 2						
दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत स्टार प्रचारक(कों) पर यात्रा व्यय						
क्र. सं.	राज्य एवं आयोजन स्थल	सभा की तारीख	स्टार प्रचारक का नाम	यात्रा की पद्धति (टैक्सी, हेलिकॉप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हेलिकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की दशा में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

अनुसूची - 2क						
दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा उपगत/ प्राधिकृत अन्य नेताओं पर यात्रा व्यय (निर्वाचन की उद्घोषणा के बाद और नामनिर्देशन से पूर्व व्ययों सहित)						
क्र. सं.	राज्य एवं आयोजन स्थल	सभा की तारीख	नेता का नाम	यात्रा की पद्धति (टैक्सी, हेलिकॉप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हेलिकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की दशा में पेई का नाम	कुल राशि (बकाया रशि सहित)
1						
2						
					कुल	

अनुसूची - 3					
दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत साधारण दल प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एस एम एस, केबल, वेबसाइट एवं दूरदर्शन चैनल आदि सहित) पर व्यय					
क्र. सं.	राज्य	आदाता का नाम	मीडिया का नाम (प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक/ एस एम एस /केबल टी वी आदि)	प्रिंट/प्रसारण/एस एम एस की तारीख(खें)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					

2					
3					
				कुल	

अनुसूची - 4				
दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत साधारण दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैजेज, स्टीकर्स, आर्क, गेट्स, कट आउट्स, होर्डिंग, झंडे आदि सहित प्रचार सामग्री पर व्यय				
क्र. सं.	राज्य	विधान सभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं नम्बर	मदों का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
			कुल	

अनुसूची - 5				
दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत जन सभाओं/जुलूसों/रैली (यथा डायस/श्रव्य/बैरीकेड/वाहन आदि) पर व्यय				
क्र. सं.	राज्य और आयोजन स्थल	सभा/जुलूस/रैली की तारीख	मदों का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
			कुल	

अनुसूची - 6					
दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत साधारण दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय					
क्र. सं.	राज्य	प्रयोजन	तारीख	मदों का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची - 7						
दल के अभ्यर्थी(यों) या अन्य अभ्यर्थी (यों) को किया गया/किए गए कुल एकमुश्त भुगतान, यदि दल द्वारा कोई प्राधिकृत/उपगत व्यय नकद में या लिखतों यथा चेक/डीडी/पीओ/आर टी जी एस/निधि अंतरण (फंड ट्रांसफर) आदि द्वारा किया गया हो। यदि राजनैतिक दल एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी(यों) को भुगतान करता है, तो तारीख-वार ब्योरे का उल्लेख किया जाए।						
क्र. सं.	राज्य का नाम/विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नंबर एवं नाम	अभ्यर्थी और दल का नाम	भुगतान की तारीख(खें)	नकद राशि	चेक/डीडी नम्बर आदि एवं तारीख	भुगतान की गई कुल राशि
1						

2						
3						
4						
					कुल	

अनुसूची - 8					
दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत, किसी अभ्यर्थी(र्थियों) के लिए या विशिष्ट अभ्यर्थी(र्थीयों) के लिए उसके फोटो या नाम के साथ मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एस एम एस, केबल, वेबसाइट, दूरदर्शन चैनल आदि) पर कुल व्यय					
क्र. सं.	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	मीडिया (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक /केबल टी वी आदि) का नाम	प्रिंट/प्रसारण/एस एम एस की तारीख(खें)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
				कुल	

अनुसूची - 9					
दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थी(र्थियों) के फोटो और/या नाम के साथ या अभ्यर्थी(र्थियों) के लिए और दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत प्रचार सामग्री (यथा पोस्टर, बैनर, निर्वाचन सामग्री आदि) पर कुल व्यय					
क्र. सं.	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर एवं नाम	मद का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
				कुल	

अनुसूची - 10						
अभ्यर्थी(यों) के साथ स्टार प्रचारकों या अन्य नेताओं की रैली में जनसभाओं/जुलूसों आदि (बैरीकेड्स/श्रव्य आदि/श्रोतागण/समर्थकों के लिए किराये पर लिए गए वाहनों) पर दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत कुल व्यय (साधारण दल प्रचार से भिन्न)						
क्र. सं.	राज्य एवं आयोजन स्थल	स्टार प्रचारक(कों) का नाम	सभा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी(र्थियों) के नाम	सभा की तारीख एवं आयोजन स्थल	व्यय की मदें	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
कुल						

अनुसूची - 11					
दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत/उपगत अभ्यर्थी(र्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय					
क्र. सं.	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर एवं नाम	अभ्यर्थी का नाम	मदों का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

निर्वाचन व्यय का राज्य-वार ब्योरा

राज्य का नाम ....

अनुसूची - 12						
राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा प्राधिकृत/उपगत स्टार प्रचारक(कों) का यात्रा व्यय						
क्र. सं.	आयोजन स्थल	सभा की तारीख	स्टार प्रचारक(कों) के नाम	यात्रा की पद्धति (टैक्सी, हेलिकॉप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हेलिकॉप्टर, एयरक्राफ्ट की दशा में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
3						
					कुल	

अनुसूची - 13						
राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा प्राधिकृत/उपगत अन्य नेता (ओं) का कुल व्यय (निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख के बाद और नामनिर्देशन से पहले व्यय सहित)						
क्र. सं.	आयोजन स्थल	सभा की तारीख	नेता(ओं) के नाम	यात्रा की पद्धति (टैक्सी, हेलिकॉप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हेलिकॉप्टर, एयरक्राफ्ट की दशा में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
3						
					कुल	

अनुसूची - 14					
राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा प्राधिकृत/उपगत साधारण दल प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एस एम एस, केबल, वेबसाइट एवं दूरदर्शन चैनल आदि सहित) पर व्यय					
क्र. सं.	राज्य	आदाता का नाम	मीडिया (प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक/ एस एम एस /केबल टी वी आदि) का नाम	प्रिंट/प्रसारण/एस एम एस की तारीख(खें)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					

2					
3					
				कुल	

अनुसूची - 15				
राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा प्राधिकृत/उपगत साधारण दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैजेज, स्टीकर्स, मार्क, गेट्स, कट आउट्स, होर्डिंग, झंडे आदि सहित प्रचार सामग्री पर व्यय				
क्र. सं.	राज्य	विधान सभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं नम्बर	मदों का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
			कुल	

अनुसूची - 16				
राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा प्राधिकृत/उपगत जन सभाओं/जुलूसों/रैली (यथा डायस/श्रव्य/बैरीकेड/वाहन आदि) पर व्यय				
क्र. सं.	आयोजन स्थल का नाम	सभा/जुलूस/रैली की तारीख	मदों का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
			कुल	

अनुसूची - 17					
राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा प्राधिकृत/उपगत साधारण दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय					
क्र. सं.	राज्य	प्रयोजन	व्यय की तारीख	मदों का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची - 18							
दल के अभ्यर्थी(यों) या अन्य अभ्यर्थी (यों) को किया गया/किए गए कुल एकमुश्त भुगतान, यदि राज्य/जिला/स्थानीय ईकाइयों द्वारा नकद में या लिखतों यथा चेक/डीडी/पीओ/आर टी जी एस/निधि अंतरण (फंड ट्रांसफर) आदि द्वारा प्राधिकृत या उपगत किया गया हो। यदि राज्य/जिला/स्थानीय यूनिट एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी(यों) को भुगतान करता है, तो तारीख-वार ब्योरे का उल्लेख किया जाए।							
क्र.	राज्य का नाम/विधान	अभ्यर्थी और दल	भुगतान की	नकद	चेक/डीडी नम्बर	भुगतान की गई

सं.	सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नंबर एवं नाम	का नाम	तारीख(खें)	राशि	आदि एवं तारीख	कुल राशि
1						
2						
3						
4						
					कुल	

अनुसूची - 19					
राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा प्राधिकृत/उपगत, किसी अभ्यर्थी(र्थियों) के लिए या विशिष्ट अभ्यर्थी(र्थीयों) के लिए उसके फोटो या नाम के साथ मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एस एम एस, केबल, वेबसाइट, दूरदर्शन चैनल आदि) पर कुल व्यय					
क्र. सं.	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	मीडिया (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक /केबल टी वी आदि) का नाम	प्रिंट/प्रसारण/एस एम एस की तारीख(खें)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
				कुल	

अनुसूची - 20					
राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा अभ्यर्थी(र्थियों) के फोटो और/या नाम के साथ या अभ्यर्थी(र्थियों) के लिए प्राधिकृत/उपगत प्रचार सामग्री (यथा पोस्टर, बैनर, निर्वाचन सामग्री आदि) पर कुल व्यय					
क्र. सं.	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर एवं नाम	मद का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
				कुल	

अनुसूची - 21					
स्टार प्रचारकों या अन्य नेताओं की रैली में जनसभाओं/जुलूसों आदि (बेरीकेड्स/श्रव्य आदि/श्रोतागण/समर्थकों के लिए किराये पर लिए गए वाहनों) पर राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा अभ्यर्थी(र्थियों) के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय (साधारण दल प्रचार से भिन्न)					
क्र. सं.	राज्य एवं आयोजन स्थल	तारीख	स्टार प्रचारक(कों) का नाम	मदों का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची - 22					
राज्य/जिला/स्थानीय इकाइयों द्वारा प्राधिकृत/उपगत अभ्यर्थी(र्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय					
क्र. सं.	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर एवं नाम	अभ्यर्थी(र्थियों) का नाम	मदों का ब्योरा	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

कैम्प बैग/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई [illegible]110001

सं.76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 तारीख 29 अगस्त, 2014

सेवा में,

1. सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव
2. सभी राजनैतिक दलों के खजांची

विषय : दल की निधियों और निर्वाचन व्यय संबंधी मामले में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के संबंध में [illegible]निर्देश के बारे में।

महोदय/महोदया,

संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन, भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभिन्न क्षेत्रों से [illegible] व्यक्त की गई है कि धन शक्ति समान अवसर के सिद्धांत को बाधित कर रही है और निर्वाचनों की शुद्धता दूषित कर रही है। निर्वाचनों के दौरान, जनशक्ति के दुरूपयोग पर काबू पाने के लिए निर्वाचन आयोग ने विगत में अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को समय-समय पर कई अनुदेश जारी किए हैं।

2. राजनैतिक दलों के लिए निर्वाचनों के दौरान एवं अन्य समय पर उगाही गई निधियों एवं उपगत व्यय के संबंध में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अनुपालन किया जाना वांछनीय है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के [illegible] राजनैतिक दलों की निधि के संबंध में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए दिशानिर्देशों का उपबंध करना आवश्यक एवं समीचीन है।

3. दिशा निर्देश बनाने के लिए, आयोग ने सभी मान्यताप्राप्त दलों से टिप्पणी/सुझाव/इनपुट मांगे थे। यद्यपि, इनमें से अधिकतर दलों ने पारदर्शिता संबंधी दिशानिर्देशों के मुद्दे का समर्थन किया, तथापि, कुछ अन्य की भिन्न राय थी। राजनैतिक दलों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में लेते हुए और निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता के हित में आयोग एतद्द्वारा राजनैतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है:-

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क के उपबंध (क) में अन्य के साथ-साथ यह उपबंध किया गया है कि राजनैतिक दल लेखाओं एवं अन्य दस्तावेजों की ऐसी लेखा बहियों का रख-रखाव करेगा जिससे उसकी आय की समुचित कटौती हो पाएगी। तदनुसार, यह अपेक्षित है कि (क) राजनैतिक दल का खजांची या दल द्वारा प्राधिकृत ऐसा व्यक्ति सभी राज्य स्तरों एवं निचले स्तरों पर लेखाओं का रख-रखाव सुनिश्चित करने के अलावा, यथोक्त उपबंध के अधीन यथापेक्षित केंद्रीय दल मुख्यालय में समेकित लेखाओं का रख-रखाव करेगा, (ख) उसके द्वारा इस प्रकार रख-रखाव की गई लेखाएं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी राजनैतिक दलों के लेखांकन एवं लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट के अनुरूप होगी और (ग) वार्षिक लेखाओं को प्रैक्टिश कर रहे अर्हक सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) आयोग ने 8 अक्टूबर, 2010 से किसी नए राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षाओं को संशोधित कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दल से उसकी लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, एकरूपता लाने के लिए, सभी राजनैतिक दल आयोग या नीचे पैरा (vi) में यथा उल्लिखित ऐसे प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर से पूर्व, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छछख और 80छछग के उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि राजनैतिक दल को किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा नकद में किए गए अंशदानों पर किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार, सभी राजनैतिक दल केवल अपनी जन रैलियों के दौरान जनता द्वारा दान में दी गई छोटी-मोटी धनराशि के सिवाय, दान देने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थानों का नाम एवं पता का रिकॉर्ड रखेंगे। इसके अतिरिक्त, नकद में प्राप्त किसी धनराशि/दान का सुसंगत लेखा बहियों में सम्यक रूप से लेखा तैयार किया जाएगा और इसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर दल के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। तथापि, दल अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य और नकद व्यय करने के लिए अपेक्षित यथोचित राशि रख सकता है।

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क(3) में उपबंध किया गया है कि किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को एक दिवस में 20,000 से अधिक की राशि के सभी भुगतानों को, आयकर नियम, 1962 के नियम 6घघ में यथा उपबंधित छूट प्राप्त श्रेणी के सिवाय, चेक/ड्राफ्ट से

किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, यदि कोई दल कोई व्यय उपगत कर रहा है तो वह सुनिश्चित करेगा कि वहां के सिवाय, जहां (क) भुगतान किसी ऐसे गांव या शहर में किया गया है, जहां बैंक की सेवा उपलब्ध नहीं है; या (ख) भुगतान किसी कर्मचारी या दल के कार्यकर्ता को वेतन, पेंशन या उसके व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है; या (ग) नकद भुगतान संविधि के अधीन अपेक्षित है, नकद में किसी व्यक्ति या कंपनी या संस्थान को एक दिवस में 20,000 से अधिक कोई भुगतान न किया जाए।

(v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(3) में किसी अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का उपबंध किया गया है। इसलिए, यदि दल अपने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय के लिए कोई वित्तीय सहायता देना चाहता है, तो ऐसी सहायता विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। दल द्वारा इस संबंध में कोई भी भुगतान केवल क्रॉस्ड एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट या बैंक एकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा और नकद में नहीं।

(vi) यद्यपि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल सभी रिपोर्टें अर्थात नामत: प्ररूप 24क में अंशदान रिपोर्ट, उपर्युक्त पैरा 3(I) में निर्दिष्ट सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा यथा प्रमाणित लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा और निर्वाचन व्यय संबंधी विवरण, भारत निर्वाचन आयोग को दाखिल करेंगी, तथापि, गैर मान्यता प्राप्त दल इन रिपोर्टों को संबंधित राज्यों (अर्थात ऐसा राज्य, जहां दल का मुख्यालय स्थित है) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विहित समय एवं रीति में दाखिल करेंगी।

4. उपर्युक्त दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2014 से सभी राजनैतिक दलों पर लागू होंगें।

भवदीय,

ह/-

(मलय मलिक)

अवर सचिव

प्रति प्रेषित :-

य सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने संबंधित राज्यों के सभी राजनैतिक दलों के ध्यान में लाए।

2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को राजनैतिक दलों के लिए सुसंगत नियम बनाने के लिए।

3. अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आई सी ए आई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, पोस्ट बाक्स नं. 7100, नई [illegible]110022 को राजनैतिक दलों संबंधी मार्गदर्शन नोट में इन बिंदुओं को शामिल करने के लिए।